

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01222/2021-2022

दिनांक 21/09/2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या: R/KAP/08601/2021-2022

पत्रावली संख्या: K-28934

दिनांक: 2001-2002

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सहयोग जन कल्याण समिति, 117 /एच-1/315, माडल टाउन, पामडु नगर, कानपुर 208005, कानपुर नगर, 208005 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 688/2001-02 दिनांक-22/09/2001 को दिनांक-22/09/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्मक रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(akhilesh chandra MAURYA)
7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2

Date: 21/09/2021 2:59:41 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-21/09/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



क. 'अपराधिकी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद एवं संख्या के विषये निम्नलिखित जानकारी देता हूँ।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1)	अमली प्रकाश सिंह	श्री निरिन्द सिंह	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	गृहणी
2)	अमली विजय लाली चौधरी	श्री प्रकाश सिंह चौधरी	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	गृहणी
3)	श्री प्रदीप सिंह	श्री श्री सिंह	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	समाजसेवा/व्यवसाय
4)	अमली निरिन्द सिंह	श्री प्रदीप सिंह	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	गृहणी
5)	श्री निरिन्द सिंह	श्री श्री सिंह	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	समाजसेवा/व्यवसाय
6)	श्री प्रदीप नारायण	श्री लाली नारायण गुप्ता	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	समाजसेवा
7)	श्री प्रदीप गुप्ता	श्री लाली नारायण गुप्ता	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	समाजसेवा
8)	अमली निरिन्द चौधरी	श्री प्रदीप लाल सिंह चौधरी	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	गृहणी
9)	श्री विजय शंकर सिंह	श्री प्रदीप सिंह चौधरी	117/एन-1/243, मीठल टावर, पान्थु नगर, कानपुर	सदस्य	गृहणी

Anshu Singh
(अमली सिंह)
सदस्य

Prakash Singh
(विजय लाली चौधरी)
सदस्य

Pradeep Singh
(प्रदीप सिंह)
सदस्य



Anshu Singh
(अमली सिंह)
सदस्य

Nirind Singh
(निरिन्द सिंह)
सदस्य

Pradeep Singh
(प्रदीप नारायण गुप्ता)
सदस्य

Pradeep Gupta
(प्रदीप गुप्ता)
सदस्य

Prakash Singh
(विजय लाली चौधरी)
सदस्य

Pradeep Singh
(विजय लाली चौधरी)
सदस्य

संशोधित
नियमावली

1. संस्था का नाम : सामाजिक जागरण समिति
2. संस्था का पता : 112/एच-1/242, लकल टाउन, जगजु नगर, कानपुर
3. संस्था का अध्यक्ष : सम्पूर्ण भारतीय

4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

संस्था उन व्यक्ति को भारतीय नागरिता हो, उम्र 18 बरस से अधिक हो, संस्था के नियमों, विनियमों के अन्तर्गत व विनियमों के तहत इनका मान्य करने के लिए प्रयत्न करे, संस्था का सदस्य बन सकता है। इसी प्रकार इस सदस्यता संस्था के अध्यक्ष/सचिव का प्रदान की जायेगी।

संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य रहेंगे

सदस्यता सदस्य

जिन व्यक्तियों को भूमि प्रदाय परीक्षण के संस्था स्मृति-पत्र कानून में उल्लिखित किये गये वे सभी 100 रु. की दर पर 501 रु. की दर से सभी को कोई भी व्यक्ति प्रदान कर संस्था का सदस्य होकर परीक्षण के 6 माह के भीतर ही प्रदान जायेगी, सभी संस्थागत सदस्य इस संस्था को अर्पण कर सकते हैं। सदस्य को प्रदान करने के लिए 5000/- रु. की दर पर प्रदान की जायेगी।

सामान्य सदस्य

जो व्यक्ति इस संस्था के सदस्य बनना चाहें उन्हें समिति की बहुमत सहायता से सदस्य बनना जायेगा तथा उन्हें द्वारा संस्था को 1,00,000/- (100 एक लाख) एक मुश्त राशि जमा करने पर ही सदस्यता प्रदान की जायेगी। सामान्य प्रतिवर्ष राशि मुश्त के रूप में 5000/- रु. की दर पर प्रदान की जायेगी।

सामान्य सदस्य

जो व्यक्ति इस संस्था को विशेष सहायता देने तथा विशेष योगदान करने वाले व्यक्ति को समिति द्वारा इस संस्था के विशेष सदस्य के रूप में शामिल किये जायेगी। ऐसे सदस्यों को विशेष मुश्त राशि नहीं देनी, लेकिन इनकी सहायता ही से अधिक नहीं होगी। (1) सदस्यों को प्रदान करने के लिए प्रदान नहीं होगा तथा सदस्यता एक वर्ष की लिए होगी।



(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

4. संघस्था की समिति :-

- (1) लोक प्रति ११
- (2) राज्य कोठी का विभाजित हो कार्य पर।
- (3) माध्यमिक द्वारा किसी भी अर्थपर में, दण्डित होने।
- (4) नियमित सदस्यता शुल्क न देने पर।
- (5) संस्था विशेषी कार्य करने पर अथवा संस्था के कार्य करने पर जिसकी कारण संस्था की समिति को नष्ट हो या नष्ट पर आदि आये।
- (6) राज्य पर देने व अन्तर्गत स्वीकार होने पर।
- (7) किसी संस्था को विच्छेद अधिवेशन का अन्तर्गत स्वीकार हो करने पर।
- (8) तीन अथवा अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
- (9) समिति के विधियों का उल्लंघन करने या साधारण संस्था के विधियों का अनुपकरण न करने पर।

5. संस्था के अंग :-

- अ- साधारण संस्था
- ब- अध्यापकीय समिति

6. साधारण संस्था :-

- (1) गठन :- सभी वर्गों के सभी सदस्यों को मिलकर संस्था की स्थापना होगी।
- (2) विधियाँ :- साधारण संस्था के विधान में एक बैठक अधिवेशन रूप में चुनाये जायेगी तथा विशेष अधिवेशन का आयोजन सभी की अध्यक्षता के अनुमोदन पर अर्थात् 2/3 सदस्यों की स्तिथित संस्था पर अधिकार होगा।
- (3) सूचना अधिसूचना :- साधारण संस्था की सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व व/ तथा विशेष संस्था की बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

6.1. प्रावधान :-

साधारण संस्था की 2/3 समिति के सदस्यों का मत है। कोचन के अन्तर्गत में स्थापित बैठकों के लिए अन्तर्गत का प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्तर्गत विधान में अन्तर्गत पूर्ववत् की रहेगी।

6.2. विशेष वार्षिक अधिवेशन की विधियाँ :-

साधारण संस्था की समिति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी जिसकी सूचना 15 दिन पूर्व प्रेषित की जायेगी।















9. साधारण सभा में अधिष्ठाता एवं कार्यकर्ता :

- (1) प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।
- (2) प्रबंध की वार्षिक सभा में वार्षिक विवेक का अनुमोदन करना।
- (3) प्रबंध की विवेक एवं विनिर्देशों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिष्कार करना।
- (4) प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयों पर पुनर्विचार, संशोधन, परिवर्तन आदि को निर्धार देना, प्रबंध समिति के निर्णयों को विरोध स्वीकार करना।
- (5) साधारण सभा में प्रबंध कार्य के प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होना। समस्त निर्णय 2/3 बहुमत से होंगे।
- (6) समिति की धन व अर्थसहायता के कार्य-विषय, विवरणों पर सभा सभा देने का अधिकार।
- (7) साधारण सभा कार्यक्षम होगी।

10. प्रबंधकारिणी समिति :

(1) गठन :

प्रबंधकारिणी समिति का गठन साधारण सभा की बहुमत से चुनाव द्वारा किया जाएगा। प्रबंधकारिणी समिति में कम से कम 7-12 लोग होंगे अधिष्ठ 15 सदस्य होंगे। जिसमें प्रबंधकारिणी भी शामिल होंगे। प्रबंध समिति का गठन निम्नवत् होगा :

अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, कोषाध्यक्ष एक, शेष प्रबंधकारिणी सदस्य कम से कम सात व अधिक हो अधिक रहेंगे।
 प्रत्येक एक समस्त प्रबंध समिति में चार प्रतिशतों एवं चार सदस्यों समित, एक सदस्य आठ व चित्त प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य हो सकते हैं।

(2) बैठकें-

साधारण व विशेष - प्रबंधकारिणी समिति की साधारण बैठकें प्रति सप्ताह 7 दिनों प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्ष के अनुमति से अथवा 2/3 सदस्यों की निर्दिष्ट मात्रा का बहुमत का संकोरी। बैठकें बुलाने व उनको सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार समिति को होगा।

(3) सूचना आदि-

साधारणतया प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों व सूचना सात दिन पूर्व प्रसारित की जावेंगी किन्तु विशेष बैठकों को सिर्फ 24 घण्टे पूर्व सूचना देना पर्याप्त होगा।

(4) सभापूर्ति (कोरम) -

कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति सभापूर्ति मान्य होगी। कोरम के अभाव में उपस्थित सदस्यों का चुनाव प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जा सकता है।

(5) विद्यमान की पूर्ति -

प्रबंधकारिणी समिति में हुए अकारिणीक विद्यमान की पूर्ति साधारण सभा की 2/3 बहुमत से शेष कार्यकारिणी की पूर्ति की जावेगी।

कारिणीय -

प्रबंधकारिणी समिति का आकार 8-12 होना चाहिए।



Arshdeep Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

Prakash Singh

15. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

सीमित -

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवार सामान्य सभा द्वारा नियुक्त ऑडिटर के द्वारा किया जाएगा।

16. अल्पवर्षी प्रारंभिकी

यदि संस्था किसी पद मुक्तदम चलाती है या संस्था पर कोई मुक्तदम चलाना चाहती है तो समस्त अल्पवर्षी कार्यवाही संस्था के सचिव या उसके पद मन के विरुद्ध की जायेगी।

17. संस्था के अधिकार -

1. संवसदा का सचिवरट
2. कार्यवाही सचिवरट
3. वार्षिक सचिवरट
4. पूर्णवर्षी सचिवरट
5. अन्य कुछ अधिकार

18. संस्था के निष्पत्तन और निष्पटित मामलों में निष्पत्तन की कार्यवाही खेमाडटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 13 एवं 14 के अन्वये की जायेगी।

Ashwini Singh

(अश्वनी सिंह)
सचिव

विजय लक्ष्मी
(विजय लक्ष्मी)
सचिव

Pranveer Singh

(प्रणवीर सिंह)
सचिव

विमला सिंह

(विमला सिंह)
सचिव

निर्मल सिंह
(निर्मल सिंह)
सचिव

Prakash Narayan Gupta
(प्रकाश नारायण गुप्ता)
सचिव

Prakash Narayan Gupta
(प्रकाश नारायण गुप्ता)
सचिव

विमला बोस
(विमला बोस)
सचिव

विमला बोस
(विमला बोस)
सचिव

